



नगर पालिक निगम भिलाई



मासिक पत्रिका
फरवरी 2025



नगर पालिक निगम भिलाई



नालियों पर अतिक्रमण कर सफाई व्यवस्था बाधित करने वालों पर सीधे होगी कार्रवाई

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्र. 03 अंतर्गत वार्डों में साफ-सफाई को लेकर आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने मुरकट्टा स्कूल एवं बैकुण्ठधाम से लगी हुई बस्तीयों में जाकर सफाई व्यवस्था को देखे। बैकुण्ठधाम क्षेत्र के अगल-बगल बस्तियों में कुछ नागरिकों द्वारा नालियों पर अवैध अतिक्रमण कर रखा गया है, जिसके कारण नाली सफाई नहीं हो पा रहा है। जिसे हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। साथ ही मंदिर निर्माण कर निगम की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे रोकने के निर्देश भी दिये। आयुक्त पाण्डेय ने स्वास्थ्य अधिकारी एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारिय, सहायक राजस्व अधिकारी से कहा कि अवैध रूप से निगम की जमीन पर बिल्डिंग मटेरियल रख कर व्यापार करने वाले व्यापारियों का गुमस्ता एवं ट्रेड लाईसेंस निरस्त कर चालानी कार्यवाही की जावे। इसी प्रकार दाल पानी क्षेत्र में नालियों के उपर अवैध कब्जा किया गया है, जिसे हटाकर स्थल की साफ-सफाई कराने को कहा है। आयुक्त ने जोन राजस्व अधिकारी को वार्डों में जाकर अवैध कब्जा करने वालों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। उसके पश्चात जोन 03 क्षेत्र में प्रस्तावित नहर नहर रोड का निर्माण किया जाना है। जोन क्रमांक 4 से होते हुए अवंती बाई चौक पर मुख्य सड़क से मिला मिलेगा। इससे नागरिकों को आवागमन में बहुत सुविधा होगी। नहर के दोनों तरफ बहुत सारे लोगों ने दुकान व घर बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। उसे नोटिस देकर हटवाने के लिए कहा। जोन 3 क्षेत्र में शीतल परिसर के पीछे आंगनबाड़ी समय पर संचालित नहीं किया जा रहा है। उसका पता लगाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने महिला एवं बाल विकास प्रभारी को निर्देशित किये।



नगर पालिक निगम भिलाई



नेहरू नगर चैंक को वर्टिकल गार्डन का संधारण किया जा रहा है।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र का नेहरू नगर प्रमुख चौक में से एक है। नेशनल हाईवे होने के कारण सबसे ज्यादा ट्रैफिक का दबाव चौक पर रहता है। व्यस्ततम आवागमन के कारण वहां की आबो हवा अन्य जगहों की अपेक्षा प्रदूषित हो जाती थी। एक तरफ बड़े-बड़े हैवी ट्रकों, बसों, मेटाडोर, ट्रेक्टर, ट्रेलर, मिनी बस, आटो, कार, दुबहिया वाहन इत्यादि वाहनो का आना-जाना लगा रहता है। बढ़ते वायु, ध्वनि प्रदूषण के दबाव को रोकने के लिए वहां पर वर्टिकल गार्डन लगाया गया था। गाड़ियों से निकलने वाले धुआं, धुल, गर्म हवाओं के कारण जो पूर्व में वर्टिकल गार्डन लगाया गया था, उसमें से कुछ पौधे सूख गये थे।

आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय स्वयं उसका फोटो खींच कर संबंधित विभाग को भेजे। आज वर्टिकल गार्डन का संधारण किया गया। वर्टिकल गार्डन में जो पौधे लगते हैं, उसकी विशेषता होती है कि उनमें प्रदूषण को कम करने की तीव्र क्षमता होती है। इससे वह आस-पास के वातावरण को संतुलित रखना है। धुल, धुआं से भी ज्यादा प्रभावित नहीं रहता, इसके कारण नेहरू नगर चौक से लेकर जहां-जहां फ्लाई ओवर के खम्बे हैं। उनके दोनों तरफ वर्टिकल गार्डन लगाया गया है। इससे निगम क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में और सुधार होगा। नगर की सुन्दरता भी बढ़ गई है। फूल खिलता है, तो लोगो के आकर्षण का केन्द्र रहता है।

नगर निगम भिलाई के तरफ से ऐसे जगहों पर सेल्फी लेना प्रतिबंधित है। कई बार देखा गया है, कि लोग उत्साह में कुछ अलग करने के चक्कर में रोड़, डिवाइडर में खड़े होकर सेल्फी लेने लगते हैं। इससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है।



Bhilai, Chhattisgarh, India
Seventh floor, 682F+8F5, Priyadarsani Parisar West, Bhilai,
Chhattisgarh 490020, India
Lat 21.200812°
Long 81.323831°
31/01/25 11:39 AM GMT +05:30



नगर पालिक निगम भिलाई



खण्डन नाले का पानी बिना डायवर्ट किये अच्छे ढंग से निर्माण नहीं किया जा सकता।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा आवश्यकता को देखते हुए कर्मा चैंक मोर्या टाकिज से लोहिया पेट्रोल पम्प कृष्णा नगर के मध्य नाले का निर्माण 1 करोड़ 97 लाख की लागत से करवाया जा रहा है। यह नाला पूर्व में 25 साल पहले का निर्मित होने के कारण जीर्णोद्धार हो गया था। इसके कारण पानी का बहाव ठीक से नहीं हो पा रहा था। विगत बरसात के समय अधिक पानी का वर्षा होने से नाला भरकर उफान में आ गया। इससे सुपेला घड़ी चैंक पर लबालब पानी भर जाने के कारण सड़क व नाल दिखना बंद हो गया था, इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती थी। उसी को देखते हुए नाला अधिक समय तक टीकाउ रहे और व्यवस्थित हो। इसलिए उसके बहाव को डायवर्ट करने की आवश्यकता थी।

इसका निरीक्षण करने आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत को लेकर स्वयं गये थे। निर्माण एजेंसी का कहना था कि हमने नाले के बहाव को रोकने के लिए बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग के दूसरी तरफ पानी को डायवर्ट कर दिया है। इसके लिए बीच में बालू से भरा बोरी रख दिया गया। इसके कारण लददी, मलवा पूरी तरह से सतह पर बैठ जा रहा है। उपर का पानी पुराने बस डिपो में भरते हुए सब्जी मंडी के रास्ते निकल रहा है। देखने में वह पानी पुरी तरह से साफ सुथरा लगता है। कुछ लोग इसे पाने का पानी समझ रहे हैं। यह नाला 2 मीटर गहरा, 2 मीटर चौड़ा, 1580 मीटर लम्बा निर्माण के साथ-साथ उसके उपर स्लेब से लिन्टर भी किया जायेगा। जिससे भविष्य में कोई दुर्घटना न हो।

नाले का सतह पुरी तरह सीमेंटीकरण हो, उसकी बराबर तराई हो और सुख जाने के बाद ही पुराने बहाव को उसमें जोड़ा जा सकता है। नगर निगम भिलाई को इस बात का संज्ञान है, इसलिए पानी को डायवर्ट किया जा रहा है। बिना तथ्य को जाने कुछ समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लिखा एवं दिखाया जा रहा है कि पीने का साफ पानी बह रहा है। कुछ समाचार पत्र में लिखा जा रहा है कि नाली को नहीं रोका जा रहा है इसलिए नाले का निर्माण ठीक से नहीं हो पायेगा। दोनों में ही विरोधाभास है, नगर निगम भिलाई इस सब समाचार का खण्डन करता है। जबकि पूर्व में इसी तथ्य को लेकर निगम भिलाई द्वारा दिनांक 07 फरवरी को समाचार प्रसारित किया गया था और 8 फरवरी को कुछ प्रमुख समाचार ने इस तथ्य को प्रसारित भी किया था। कृपया सत्यता के अनुसार समाचार पत्रों को प्रकाशित करे, जिससे नागरिक दिग्भ्रमित न हो।



नगर पालिक निगम भिलाई



बाड़ से जुगाड़ लोगो के आकर्षण का केन्द्र बन रहा है।

भिलाईनगर। घरों, दुकानों, फैक्ट्रीयों आदि से निकलने वाले बहुत प्रकार के कचरे ऐसे होते हैं। जो अनुपयोगी हो जाते हैं, जो अनावश्यक रूप से जगह घेरते हैं। ऐसे कचरों से क्या सकारात्मक पहल की जाये, जिससे वह उपयोगी हो जाये। शासन द्वारा इस प्रकार का अभियान चलाने के लिए निकायों को निर्देश मिला है।

उसी के तारतम्य में नगर निगम भिलाई क्षेत्र के उद्यानों, एस.एल.आर.एम. सेंटर, मुख्य कार्यालय में अनुपयोगी सामग्री को उपयोगी बनाया जा रहा है। जिसमें प्रमुख रूप से पुराने टायर से गमला, झुला, सोफा, पानी के बोतल से सजावटी सामान, पेन स्टेण्ड, झरना, गमले, खेल सामग्री, नारियल के खोल से झुमर, गमला, जूट के बोरे से झोला, पुराने जिंस से गमला, पुराने नल से साजावटी सामग्री इत्यादि बनाये जा रहे हैं।

जो बहुत ही कम खर्च में आकर्षक दिखने लगते हैं, बस उसमें थोड़ा क्रियेटिव काम करना पड़ता है। इसका झुला इतना मजबूत एवं नर्म बनता है कि देखकर किसी को भी झुलने का मन करने लगता है। नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने जब जाके देखा उन्हें भी आश्चर्य होने लगा। निगम के ऐसे जगहों पर बनाकर लगाया गया है, कुसुम कानन गार्डन, जीम गार्डन, भारत माता

गार्डन, शंकरा उद्यान, एस.एल.आर.एम. सेंटर, कार्यालयों आदि जगहों पर उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साह, एस.एल.आर.एम. सेंटर की समूह की महिलाओं द्वारा बनाया जा रहा है। जिसे एक बार देखने के बाद यह एहसास नहीं होता है कि यह वही कबाड़ था। जो इधर-उधर पड़े रहने से जगह घेरता था। थोड़ा सा क्रियेटिव सोच से मन को आकर्षित करने लगता है।



नगर पालिक निगम भिलाई



नगर निगम भिलाई के अधिकारी/कर्मचारी प्रतिदिन भ्रमण का फोटोग्राफ लोकेशन के साथ निगम के एकटीविटी ग्रुप में शेयर करेंगे।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के सभी कार्यों में निरंतरता लाने के लिए आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय प्रतिदिन किसी भी जोन में जाकर निरीक्षण हेतु भ्रमण कर रहे हैं। संबंधितों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दे रहे हैं। प्राप्त आदेशानुसार फिल्ड के सभी अधिकारी/कर्मचारी जो भी उनको दायित्व मिला है। अपने कार्य के क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे, निरीक्षण के दौरान लोकेशन के साथ फोटोग्राफ भी डालेंगे। क्या कार्य हो रहा है, कितना प्रगति हुआ है, समय सीमा के अंदर है, या बाहर, गुणवत्ता इत्यादि के बारे में सभी कार्यों का प्रगति के साथ गुगलशीट में अपलोड करेंगे। आयुक्त पाण्डेय द्वारा प्रत्येक सप्ताह समीक्षा बैठक लिया जाता है।

जिसमें सभी अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा संपादित किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की जायेगी। सभी अधिकारी कर्मचारी जब फिल्ड में रहेगे, तो संबंधित एजेंसी भी अच्छे से कार्य करेगी। एक सकारात्मक दबाव रहेगा। प्रमुख रूप से साफ-सफाई, निर्माण, उद्यान, परियोजना, जल वितरण, संपत्तिकर, भू-भाटक, जलकर, आदि से संबंधित सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने-अपने दायित्वों के साथ कार्य करते हुए प्रतिदिन का फोटोग्राफ निगम के एकटीविटी ग्रुप में शेयर करेंगे। इसमें चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता, जोन आयुक्त, कार्यपालन अभियंता, राजस्व अधिकारी, जोन सहायक राजस्व अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, जोन स्वास्थ्य अधिकारी, सुपरवाइजर, सभी अभियंतागण, शहरी अजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, मोर संगवारी, आयुष्मान कार्ड, भवन अनुज्ञा, वाहन शाखा, अवैध निर्माण, उद्यान, शहरी अजीविका मिशन के मिशन मैनेजर, सी.ओ., तौड़फोड़, आवारा पशु पकड़ने वाले इत्यादि अन्य कार्यों के लिए प्राप्त निर्देशानुसार शामिल रहेगे।



नगर पालिक निगम भिलाई



सफाई किस प्रकार से होगा जब नाले और नाली के ऊपर अवैध कब्जा कर लेंगे

भिलाईनगर। आज जोन क्रमांक 04 शिवाजी खुर्सीपार क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 38,30,32 इत्यादि वार्डों में भ्रमण के दौरान देखा गया। कि कुछ नागरिकों द्वारा नाले के ऊपर अवैध कब्जा करके उसे ढक दिये हैं। कुछ लोग उसके ऊपर नहानी खोली, बाथरूम, बना लिए हैं। कुछ कब्जाधारी ऐसे हैं जो नाली के ऊपर स्लैब डालकर घर भी बना लिए हैं। ऐसे सभी अवैध कब्जाधारियों को आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने जोन क्रं. 4 के सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू को नोटिस देने के लिए आदेशित किये हैं।

कब्जाधारी चार दिनों के अंदर अपना कब्जा खाली कर जगह को रिक्त कर दें। नहीं तो नगर निगम भिलाई द्वारा जे.सी.बी. के माध्यम से कब्जा रिक्त कराया जायेगा। इसमें आवश्यकता से अधिक निर्माण टूटने की संभावनी बनी रहती है। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी। सफाई किस प्रकार से होगा, वहां सफाई गैंग कैसे काम कर सकता है। न ही वहां पर सफाई कर्मचारी का फावड़ा चलेगा। हर व्यक्ति एक दूसरे पर दोष रोपण करेगा, तो सफाई नहीं होगा। अवैध कब्जे के पास कचरा जाम हो जाता है। यह भी देखने में आ रहा है, कि पालीथिन का रैपर, झिल्ली, पन्नी, डिस्पोजल, कुरकुरे को पैकेट, गुटका का पैकेट इत्यादि अपने घर के सामने नाली में फेंक देते हैं।

नाली से केवल पानी जा सकता है, कचरा नहीं। बस मानसिकता बदलने की जरूरत है, ऐसे सभी दुकानदारों के ऊपर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा रही है। निरीक्षण के दौरा स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, जनसम्पर्क अधिकारी अजय शुक्ला, जोन स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत मांझी, जोन सुपरवाइजर मंत राम यादव, पी.आई.यू. अभिनव ठोकने, शुभम पाटनी इत्यादि उपस्थित रहे।



नगर पालिक निगम भिलाई



भिलाई शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने निकाली जागरूकता रैली

भिलाईनगर। प्लास्टिक की झिल्ली, पन्नियों में दुकानदारों द्वारा सामान विक्रय किया जा रहा है। बार-बार समझाने, चालानी कार्यवाही करने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। दुकानदारों का कहना है, कि ग्राहक घर से थैला लेकर नहीं चलते हैं। वह सब कुछ अलग-अलग पालीथीन में ही मांगते हैं, हमें देना पड़ता है। इसके प्रति लोगों को समझाइस देने, जागरूकता फैलाने के लिए आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देशित किये हैं। इसी तारतम्य में आज सर्कुलर मार्केट, जवाहर मार्केट, सब्जी मण्डी, मटन मछली मार्केट, फल मण्डी में जोन आयुक्त सतीश यादव एवं स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली के उपस्थिति में रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली छावनी थाने से शुरू होकर व्यापारियों, ग्राहकों के बीच में पहुंचकर उनको समझाइस दे रही थी कि झिल्ली, पन्नी में सामान लेना या देना दोनों प्रतिबंधित हैं। यह झिल्ली इतना पतला होता है कि इसका रिसायकल भी नहीं किया जा सकता है। नालियों, नालों को जाम कर देता है। लोग झिल्ली में सब्जी, खाने की सामग्री इत्यादि फेंक देते हैं, जिसे गौ माता खाकर बीमार पड़ जाती है, उनका पेट फूल जाता है। नाक से पानी गिरने लगता है, एक दिन वह दम तोड़ देती है। इन सबके दोषी कहीं न कहीं हम सब समाज के लोग ही हैं। जो व्यापारी मना करने के बाद भी झिल्ली में सामान बेच रहे थे, उनका जप्ती बनाया गया। छोटे ठेले, सब्जी बेचने वाले एवं खरीदने वाले से भी 2600 रूपया अर्थदण्ड लिया गया। सब्जी मण्डी में ही बिटेक इंजीनियर सुबोध सिंह द्वारा मिर्ची, धनिया, अदरक, लहसुन, टमाटर, नीबू इत्यादि को अलग-अलग झिल्ली में खरीद कर ले जा रहे थे। उन्हें रोककर समझाया गया, उनको निगम द्वारा थैला दिया गया। उन्होंने कबूल किया यह हम लोगों की लापरवाही है, कि घर से झोला लेकर नहीं चलते हैं, अब हम जरूर लेकर निकलेगें। सुश्री संध्या देवांगन कालेज छात्रा द्वारा झिल्ली में सब्जी लिया जा रहा था। उसे बताया गया कि बगल में ही 10 रुपये में अच्छा झोला मिल रहा है, उसने तुरन्त नया झोला खरीद कर सामान लिया। बोली मुझे मालूम ही नहीं था कि इतने सस्ते में झोला मिलता है। जागरूकता रैली के दौरान वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक के.के.सिंह, जनसम्पर्क अधिकारी अजय शुकला, जोन स्वास्थ्य अधिकारी बीरेन्द्र बंजारे, हेमंत मांझी, मिशन मैनेजर अमन पटले, एकता शर्मा, पीआईयू, अभिनव ठोकने, सुभम पाटनी, शहरी अजीविका मिशन के सी.ओ., सीआरपी आदि उपस्थित रहे।



नगर पालिक निगम भिलाई



कांजी हाउस एवं संधारित सुलभ शौचालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे-आयुक्त

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के कोसा नगर भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित कांजी हाउस का निरीक्षण करने आयुक्त सुबह-सुबह पहुंच गये। वहां पर जानवरों के खाने के लिए प्रदाय किये जा रहे चारा, पानी एवं व्यवस्था का निरीक्षण किये। वर्तमान में कांजी हाउस का संचालन एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत, उपअभियंता पुरुषोत्तम सिन्हा, संचालनकर्ता एजेंसी शोभुराम साहू को निर्देशित किये कि जानवरों के चारे, पानी का उचित प्रबंध हो। बिमार पड़ने पर शासकीय पशु चिकित्सक को बुलाकर ईलाज करवाया जाये। पशु चिकित्सक बीच-बीच में आकर ईलाज करते रहेंगे।

कांजी हाउस के चारों तरफ सीमेंट के दिवाल बनाई जा रही है, जिससे जानवर भाग न पावें। इससे फायदा होगा कि अतिरिक्त जमीन पर पानी डालने पर घास बड़े होंगे, इससे जानवरों को चरने की भी सुविधा मिल जायेगी। जानवरों के पीने के लिए बीच-बीच में बड़े-बड़े कोटना बना दिया जाये, जिसमें पानी भरा हो, जानवर गर्मी में पानी पी सके। वहीं पर सीएण्ड वेस्ट से चेकर टाइल्स का भी निर्माण करने का कार्य किया जायेगा। तत्पश्चात जोन क्रं. 01 नेहरू नगर में प्रमुख रूप से भिलाई नगर रेलवे स्टेशन, आकाश गंगा सब्जी मंडी, सुपेला घड़ी चैंक, वेकेश्वर टाकिज के पीछे, नेहरू नगर चौक आदि का निरीक्षण किये। जिस शौचालय का संधारण का कार्य हो चुका है, उसको नागरिकों के उपयोग के लिए खोल दिया जाये। बाकि को समय अवधि में पूर्ण किया जाये। आकाश गंगा सब्जी मण्डी में हजारों सब्जी विक्रेता, काम करने वाले वर्कर, ग्राहक, रिक्शा, ठेला वाले निस्तारी के लिए आते रहते हैं। यह ध्यान दिया जाये कि उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली एवं निर्माणकर्ता एजेंसी को आदेशित किये।

निरीक्षण के दौरान उपअभियंता चंदन निर्मल, जनसम्पर्क अधिकारी अजय शुक्ला, जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना, जोन स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी, पीआईयू सुभम पाटनी, अभिनव ठोकने आदि उपस्थित रहे।



नगर पालिक निगम भिलाई



नगर निगम भिलाई के सभी सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय अधिक व्यवस्थित हो रहे हैं।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्रं. 03 क्षेत्र में शौचालयों का संधारण कार्य कराया जा रहा है। जिसका निरीक्षण करने आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय सुबह सभी क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। उनके साथ जोन कमिश्नर, स्वास्थ्य अधिकारी, संधारणकर्ता एजेंसी और जोन के अभियंताओं का साथ रहना आवश्यक रहता है। वार्ड 30 प्रगति नगर, वार्ड 31 मद्र टेरेसा नगर व स्टील नगर, वार्ड 32 बैकण्ठधाम, वार्ड 33 संतोषी पारा एवं वार्ड 37 सुभाषचंद्र बोस सब्जी मंडी का निरीक्षण किये एवं शौचालय संधारण की प्रगति, गुणवत्ता का जांच किये। संधारणकर्ता एजेंसी को निर्देशित किये की शौचालय संधारण कार्य जल्द ही पूर्ण करें। जिससे क्षेत्र के नागरिकों को शौचालय उपयोग करने की सुविधा शीघ्र ही दिया जा सके। इसी तारतम्य में मंगलवार को जोन क्रं. 04 शिवाजी नगर क्षेत्र के सौ-मार्ट के समीप बने सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निरीक्षण किये। वहां की साफ-सफाई, बिजली, पानी व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए एजेंसी को निर्देशित किये। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किये की शौचालय के आंगन में गमला रखने एवं खेल सामग्री का संधारण करारकर बच्चों के खेलने व झूलने हेतु व्यवस्था बनाये। इसी प्रकार वार्ड क्रं. 50 सामुदायिक सुलभ शौचालय का भी निरीक्षण किये एवं शौचालय के बागल में स्थित शास्त्री नगर में बाबा बालकनाथ सरोवर को देखे और साफ-सफाई कराने हेतु निर्देशित किये। तालाब का पानी सूखने की स्थिति में है, जिसमें बोर की व्यवस्था हो सके तो उसे शीघ्र कराने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त सतीश यादव, अमरनाथ दुबे, सहायक अभियंता प्रिया करसे, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, उपअभियंता नितेश मेश्राम, सहायक राजस्व अधिकारी बसंत देवांगन, बालकृष्ण नायडू, जोन सहायक स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत मांझी, पीआईयू अभिनव ठोकने आदि उपस्थित रहे।



नगर पालिक निगम भिलाई



निगम भिलाई में पारदर्शिता के साथ लाटरी निकालकर 24 हितग्राहियों को आवास आबंटन किया गया।

भिलाईनगर। आज नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना मोर मकान-मोर आस एवं मोर मकान-मोर चिन्हारी घटक अंतर्गत निर्मित आवासों का आबंटन किया गया। सभापति गिरवर बंटी साहू एवं आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय की उपस्थिति में मकान के लिए लाटरी निकाला गया। लाटरी में वह नागरिक जो पूर्व से मकान के लिए आवेदन जमा किये थे एवं जिनका पात्र सूची में नाम था और उनके द्वारा मकान का 10 प्रतिशत अंशदान की राशि निगम कोष में जमा किया गया था। उन हितग्राहियों को लाटरी में शामिल कर उनके नाम से एक-एक कर पर्ची निकालकर मकान आबंटन किया गया है। जिन हितग्राहियों के घर में 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजन थे, जिनके घर में दिव्यांग लोग हैं उन सभी को भूतल का मकान आवंटित किया गया। सूर्या विहार के पीछे खम्हरिया युनिट 667/493 में मोर आस के 02 मकान, सूर्या विहार के पीछे खम्हरिया युनिट 1120 में मोर आस एवं चिन्हारी के 03 मकान, कृष्णा इंजीनियरिंग कालेज के पीछे खम्हरिया में 17 मकान, एनार स्टेट खम्हरिया में 2 मकान इस तरह कुल 24 मकानों का आबंटन हितग्राहियों को किया गया। इनमें से 7 हितग्राही संध्या पंचभाई, सुभाषिणी प्रधान, अमित कुमार मांझी, समीर भट्टाचार्य, कंदन सराफ, कुंती देवी कुशवाहा, हेमासुन्दर देवी महतो को भूतल का मकान आवंटित किया गया है। कल्पना टांडी वृद्ध महिला ने बताया कि मेरी बड़ी इच्छा थी, कि मुझे नीचे का मकान मिले आज लाटरी में मिला मैं बहुत खुश हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बुजुर्गों का ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूं। नियम ही ऐसा बनाया गया है, कि बुजुर्गों के लिए दिव्यांगों के लिए नीचे का मकान मिले। लाटरी के दौरान अधीक्षण अभियंता डी.के.वर्मा, कार्यपालन अभियंता वीनिता वर्मा, आवास प्रभारी विद्यायाधर देवांगन, आवास विभाग से किरण चतुर्वेदी आदि उपस्थित रहे।



नगर पालिक निगम भिलाई



निगम भिलाई में वसूलीकर एजेंसी निर्धारित लक्ष्य तक वसूली नहीं करने पर का लगभग 34 लाख रूपया राजसात किया गया।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में डोर-टू-डोर संपत्तिकर, समेकितकर, जलकर, भू भाटक विज्ञापन कर, यूजर चार्ज इत्यादि करों की वसूली हेतु मेसर्स पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्रा.लि. (राँची) को अधिकृत किया गया है। नगर निगम भिलाई के साथ संबंधित एजेंसी के बीच दिनांक 21.12.2022 को अनुबंध निष्पादित किया गया है। एजेंसी को अनुबंध के नियम शर्तों के तहत करो की वसूली प्रारंभ करने की अनुमति दिनांक 30.12.2022 को जारी की गई है। एजेंसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 तक राजस्व करों की वसूल की गई राशि के कमीशन राशि 5.6 प्रतिशत से एग्रीमेंट में उल्लेखित शर्तों के अनुसार 10 प्रतिशत होल्ड की गई कुल राशि 33,71,372.11 को होल्ड करके रखा गया है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर संबंधित एजेंसी को लक्ष्य के अनुरूप राजस्व करों की वसूली सुनिश्चित करने निगम द्वारा समय-समय पर 4 बार पत्र जारी किया गया है। अधिकृत एजेंसी मेसर्स पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्रा.लि. (राँची) द्वारा एग्रीमेंट दिनांक 21.12.2022 के आर्टिकल 7 की कंडिका 2.6 की पूर्ति नहीं की गई है। निगम भिलाई द्वारा 10 प्रतिशत होल्ड की गई कुल राशि 33,71,372.11 को एतद् द्वारा राजसात कर दिया गया है। नगर निगम भिलाई द्वारा सभी नागरिकों से अपील की जा रही है कि अपने देय करों का का भुगतान समय अवधि में कर देवे। जमा नहीं करने पर निगम अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए, संपत्ति को कुर्की करने की भी कार्रवाई की जाएगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी करदाता की होगी।



Editorial Board

श्री राजीव कुमार पाण्डेय
रा.प्र.से.
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

Contact & Address

श्री अजय कुमार शुकला
प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई



नगर पालिक निगम भिलाई

